रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232475
CG-DL-E-06012022-232475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943
No. 9]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 9(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी-3 अलिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक उनका संबंध हल्के वाहन का चालक और मैकेनिकल ड्राईवर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय के भारतीय खान ब्यूरो में स्टाफ़ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ़ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ़ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, स्टाफ़ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ़ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ़ कार चालक (साधारण ग्रेड) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.—** इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को स्टाफ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पदों पर नियमित आधार पर पदाधिकारी व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त किया गया माना जाएगा और उक्त नियमों के प्रारंभ से पूर्व उक्त पदों पर नियमित आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाओं को उनकी परिवीक्षा अवधि, ज्येष्ठता और अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता को ध्यान में रखा जाएगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता —**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार चालक ग्रेड-**I**	20* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर– 5 (29200-92300 रू.)	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500 - 81100 रू.) में ऐसे स्टाफ कार चालक ग्रेड II जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पद पर पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ खनन भूविज्ञानी/ उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी/ भंडार अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	12* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर– 4 (25500-81100 रू.)	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर –2 (19900–63200 रू.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) जिन्होंने उस ग्रेड में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या

पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. उप खान नियंत्रक/ अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी/ भंडार अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	9* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर– 2 (19900-63200 रू.)	लागू नहीं होता ।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 और 25 वर्ष के बीच* *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने की दशा में, यह 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगा । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिला के पंगी उप खंड, लद्दाख या अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई है।)	**आवश्यक:-** (i) जिनके पास मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति है (ii) जिन्हें मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने की क्षमता हो) (iii) जिनके पास मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, और (iv) जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। **वांछनीय:-** होम गार्ड/ सिविल स्वयं सेवकों के रूप में 3 वर्ष की सेवा । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

	चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कारों को चलाने की सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी का पदधारण किए हुए हैं जो स्तंभ (7) में यथावर्णित अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन:- सशस्त्र बल के कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बलों से विमुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन, पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण (i):** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण (ii):** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप खान नियंत्रक /अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी/ सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; 3. सहायक भंडार अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 22/5/2019-एम.III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2022

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the posts of Light Vehicle Driver and Mechanic-Cum-Driver, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines namely:-—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.— The persons holding the posts of Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to said posts under these rules and the services rendered by them in the said posts on regular basis before the commencement of said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications .—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver Grade I.	20*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29200-92300).	Non-Selection.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion : Staff Car Driver Grade II in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Senior Mining Geologist/ Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines - Member; 3. Administrative Officer/ Stores Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver Grade II.	12*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100).	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	Promotion.

(11)
Promotion :- Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Controller of Mines/ Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Member; 3. Administrative Officer/ Stores Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	9*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years* *In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 year and 27 years. (Relaxable for Government servants' upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh or Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :-** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10^{th} Standard. **<u>Desirable</u> :-** 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
Deputation :- From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the Central Government or State Government or Union Territories who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel :-** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note (i):** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note (ii):** The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Controller of Mines/ Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Chairman; 2. Junior Mining Geologist/ Assistant Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines – Member; 3. Assistant Store Officer/ Assistant Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Not applicable

[F. No. 22/5/2019-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.06 21:26:42 +05'30'